

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 88

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

| मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2013-2014 | | | बजट 2014-2015 | | | संशोधित 2014-2015 | | | बजट 2015-2016 | | | |
|--|--------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | |
| राजस्व | 1275.71 | 15.61 | 1291.32 | 1500.00 | 17.21 | 1517.21 | 1395.00 | 22.21 | 1417.21 | 1606.80 | 18.34 | 1625.14 | |
| पूँजी | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| जोड़ | 1275.71 | 15.61 | 1291.32 | 1500.00 | 17.21 | 1517.21 | 1395.00 | 22.21 | 1417.21 | 1606.80 | 18.34 | 1625.14 | |
| 1. सचिवालय – आर्थिक सेवाएं | 3451 | ... | 15.61 | 15.61 | ... | 17.21 | 17.21 | ... | 22.21 | 22.21 | ... | 18.34 | 18.34 |
| अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान | | | | | | | | | | | | | |
| 2. स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थाएं | 3425 | 449.99 | ... | 449.99 | 493.00 | ... | 493.00 | 459.00 | ... | 459.00 | 511.62 | ... | 511.62 |
| 3. अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01 मानव संसाधन विकास | 3425 | 78.92 | ... | 78.92 | 68.00 | ... | 68.00 | 78.81 | ... | 78.81 | 90.00 | ... | 90.00 |
| 3.02 जैव सूचना विज्ञान | 3425 | 27.40 | ... | 27.40 | 17.00 | ... | 17.00 | 20.00 | ... | 20.00 | 43.50 | ... | 43.50 |
| 3.03 अनुसंधान एवं विकास | 3425 | 431.35 | ... | 431.35 | 401.00 | ... | 401.00 | 378.00 | ... | 378.00 | 470.00 | ... | 470.00 |
| 3.04 सामाजिक विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी | 3425 | 10.91 | ... | 10.91 | 12.00 | ... | 12.00 | 12.00 | ... | 12.00 | 15.00 | ... | 15.00 |
| 3.05 महाचुनीती कार्यक्रम | 3425 | 35.99 | ... | 35.99 | 37.00 | ... | 37.00 | 32.00 | ... | 32.00 | 37.00 | ... | 37.00 |
| 3.06 उत्कृष्टता और नई खोज के संवर्धन संबंधी कार्यक्रम | 3425 | 59.22 | ... | 59.22 | 63.00 | ... | 63.00 | 49.69 | ... | 49.69 | 63.00 | ... | 63.00 |
| 3.07 जैव प्रौद्योगिकी सुविधाएं | 3425 | 57.16 | ... | 57.16 | 57.00 | ... | 57.00 | 57.00 | ... | 57.00 | 57.00 | ... | 57.00 |
| जोड़- अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता | | 700.95 | ... | 700.95 | 655.00 | ... | 655.00 | 627.50 | ... | 627.50 | 775.50 | ... | 775.50 |
| 4. आई एंड एम सेक्टर-सरकारी निजी भागीदारी | 3425 | 72.16 | ... | 72.16 | 69.00 | ... | 69.00 | 67.00 | ... | 67.00 | 69.00 | ... | 69.00 |
| 5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग | 3425 | 52.61 | ... | 52.61 | 43.00 | ... | 43.00 | 52.00 | ... | 52.00 | ... | ... | ... |
| 6. जैव प्रौद्योगिकी समूह | 3425 | ... | ... | ... | 90.00 | ... | 90.00 | 50.00 | ... | 50.00 | 90.00 | ... | 90.00 |
| 7. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों हेतु प्रावधान | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01 मानव संसाधन विकास | 2552 | ... | ... | ... | 7.00 | ... | 7.00 | 7.00 | ... | 7.00 | 7.00 | ... | 7.00 |
| 7.02 उत्कृष्टता और नई खोज के संवर्धन संबंधी कार्यक्रम | 2552 | ... | ... | ... | 2.00 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 2.00 |
| 7.03 जैव प्रौद्योगिकी सुविधाएं | 2552 | ... | ... | ... | 3.00 | ... | 3.00 | 3.00 | ... | 3.00 | 3.00 | ... | 3.00 |
| 7.04 जैव सूचना विज्ञान | 2552 | ... | ... | ... | 1.00 | ... | 1.00 | 1.77 | ... | 1.77 | 5.00 | ... | 5.00 |
| 7.05 अनुसंधान एवं विकास | 2552 | ... | ... | ... | 66.00 | ... | 66.00 | 86.50 | ... | 86.50 | 99.00 | ... | 99.00 |

| | मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2013-2014 | | | बजट 2014-2015 | | | संशोधित 2014-2015 | | | बजट 2015-2016 | | | |
|---|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | |
| 7.06 | महाचुनौती कार्यक्रम | 2552 | ... | ... | 3.00 | ... | 3.00 | 3.00 | ... | 3.00 | 3.00 | ... | 3.00 | |
| 7.07 | सामाजिक विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी | 2552 | ... | ... | 5.00 | ... | 5.00 | 5.00 | ... | 5.00 | ... | ... | ... | |
| 7.08 | स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थाओं को सहायता | 2552 | ... | ... | 50.00 | ... | 50.00 | 18.23 | ... | 18.23 | 30.68 | ... | 30.68 | |
| 7.09 | आई एंड एम सेक्टर | 2552 | ... | ... | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | |
| 7.10 | अंतर्राष्ट्रीय सहयोग | 2552 | ... | ... | 2.00 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 2.00 | ... | ... | ... | |
| 7.11 | जैव प्रौद्योगिकी समूह | 2552 | ... | ... | 10.00 | ... | 10.00 | 10.00 | ... | 10.00 | 10.00 | ... | 10.00 | |
| जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों हेतु प्रावधान | | | ... | ... | 150.00 | ... | 150.00 | 139.50 | ... | 139.50 | 160.68 | ... | 160.68 | |
| कुल जोड़ | | 1275.71 | 15.61 | 1291.32 | 1500.00 | 17.21 | 1517.21 | 1395.00 | 22.21 | 1417.21 | 1606.80 | 18.34 | 1625.14 | |
| | विकास शीर्ष | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | |
| ग. योजना परिव्यय | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान | 13425 | 1275.71 | ... | 1275.71 | 1350.00 | ... | 1350.00 | 1255.50 | ... | 1255.50 | 1446.12 | ... | 1446.12 |
| 2. | पूर्वोत्तर क्षेत्र | 22552 | ... | ... | ... | 150.00 | ... | 150.00 | 139.50 | ... | 139.50 | 160.68 | ... | 160.68 |
| जोड़ | | 1275.71 | ... | 1275.71 | 1500.00 | ... | 1500.00 | 1395.00 | ... | 1395.00 | 1606.80 | ... | 1606.80 | |

1. **सचिवालय - आर्थिक सेवाएं:** जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के सचिवालय पर व्यय हेतु प्रावधान।

2. **स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थानः** विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 16 स्वायत्त संस्थाएं तथा 1 व्यावसायिक निकाय है जिसके लिए सहायता दी जा रही है।

3. **अन्य वैज्ञानिक निकायों की सहायता:** (1) मानव संसाधन विकास (एचआरडी), जैव सूचना तंत्र, अनुसंधान तथा विकास अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं, बड़े चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम, उत्कृष्टता, जैव प्रौद्योगिकी सुविधा आदि के संवर्धन हेतु कार्यक्रम के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

4. **आई एण्ड एम क्षेत्र-सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी):** जिन स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है वे हैं: लघु व्यवसाय नवप्रवर्तन अनुसंधान पहल (एसबीआईआरआई), जैव प्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारी कार्यक्रम (बीआईपीपी), तथा जैव प्रौद्योगिकी औद्योगिक पार्क हेतु सहायता तथा एसबीआईआरआई और बीआईपीपी कार्यक्रमों से आगे उद्योग नवप्रवर्तन वित्तपोषण स्कीमों का विस्तार आदि।

6. **जैव प्रौद्योगिकी समूह कार्यक्रम:** यह प्रावधान जैव प्रौद्योगिकी समूह कार्यक्रम के लिए है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि (एनईआर घटक सहित) प्रदान की जाती है।

7. **पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों हेतु प्रावधान:** पूर्वोत्तर के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य संस्थाओं और विश्वविद्यालयों तथा निजी क्षेत्र के सहयोग तथा भागीदारी से पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ मानव संसाधन विकास, जैव प्रौद्योगिकी अवसंरचना एवं अनुसंधान तथा विकास के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु आवश्यक प्रावधान रखे गए हैं।